रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, दिसम्बर 23—दिसम्बर 29, 2018, शनिवार/ पौष 2—पौष 8, 1940

No. 32] NEW DELHI, DECEMBER 23—DECEMBER 29, 2018, SATURDAY/ PAUSHA 2—PAUSHA 8, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन विभाग

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2018

का.नि.आ. 130.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में समूह 'ख' (अनुसचिवीय पद) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय,समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति —

2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, (Senior Stores Superintendent) Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2012,-

A. for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of said posts, their classification and the level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules";

B. in the Schedule, —

(I) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely, —

"Level in Pay Matrix
(4)
Level 6 (Rs. 35400 to Rs. 112400)";

(II) in column (11),-

(a) under sub-heading 'Promotion',-

(i) for the words, letters and figures "Pay Band-1, Rs. 5200-20200 and grade pay of Rs. 2400", the words and figure "Level 4 in the Pay Matrix" shall be substituted;

(ii) "Note 2" shall be omitted;

(b) under sub-heading 'Deputation',-

(i) for the words, letters and figures "Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2800", the words and figure "Level 5 in the Pay Matrix" shall be substituted;

(ii) for the words, letters and figures "Pay Band-1, Rs. 5200-20200 and grade pay of Rs. 2400" , the words and figure "Level 4 in the Pay Matrix" shall be substituted;

(i) "Note 3" shall be omitted.

[File No.A/86320/RR/SSS/DGQA/Adm-10/ 1000 /D(QA) /2018]

R RAJENDAR GOUD, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide notification number S.R.O. 08 dated the 9th February 2012 in the Gazette of India, Part-II, Section-4, dated the 25th February, 2012.

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, .2018

का.नि.आ. 142.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, टेलीफोन आपरेटर, समूह 'ग' पदों भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, टेलीफोन आपरेटर, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, टेलीफोन आपरेटर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 में, -

(1) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर —उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होगें जो, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तभ (4) में विनिर्दिष्ट है।" ;

(2) अनुसूची में, -

(क) क्रम संख्या 1 के विरुद्ध, टेलीफोन आपरेटर श्रेणी-1, से संबंधित पद, -

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 4 (25500 से 81100 रू)";

(ii) स्तंभ (11) में, उपशीर्षक "प्रोन्नति",-

(क) वेतन बैंड-1, रू. 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन 1900 रू. शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर स्तर-2 (19900 से 63200 रू)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iii) "टिप्पण 1" का लोप किया जाएगा।

(ख) क्रम संख्या 2 के विरुद्ध, टेलीफोन आपरेटर श्रेणी-2 से संबंधित, -

(i) स्तंभ (4) की प्रविष्टि में "स्तर 2 (19900 - 63200 रू.)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. - ए/86320/आर.आर./ टी ओ/ डीजीक्यूए/ प्रशा-10/ /डी(क्यू.ए)/2018]

आर राजेन्दर गौड़, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4, तारीख 25 फरवरी, 2012 में अधिसूचना संख्यांक का. नि. आ 07, तारीख 13 फरवरी, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 13th September, 2018

S.R.O.142 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Telephone Operators, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2012, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Telephone Operators, Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Telephone Operators, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2012,-

(1) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule;

(2) in the Schedule, —

(a) against serial number 1, relating to the post of Telephone Operator Grade-I, —

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: —

"Level in pay matrix

(4)
Level 4 (Rs. 25500 to Rs. 81100)";

(ii) in column (11), the sub-heading "promotion",-

(A) for the words, letters and figures "pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900", the words, figures, letters and brackets "level 2 (Rs. 19900 to Rs. 63200) in the pay matrix" shall be substituted;

(B) "Note 1" shall be omitted.

(b) against serial number 2, relating to the post of Telephone Operator Grade-II, —

(i) in column (4), for the entries, the entries "Level 2 (Rs. 19900 – 63200)" shall be substituted.

[F. No.A/86320/RR/TO/DGQA/Adm-10/ /D(QA) /2018]

R RAJENDAR GOUD, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide notification number S.R.O. 07 dated the 13th February, 2012 in the Gazette of India, Part-II, Section-4, dated the 25th February, 2012.

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2018

का.नि.आ. 143.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (गेज चेकर, गिलास ब्लोवर और प्रयोगशाला सहायक) भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग में गेज चेकर, गिलास ब्लोवर और प्रयोगशाला सहायक के समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (गेज चेकर, गिलास ब्लोवर और प्रयोगशाला सहायक) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।